राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1877 / 2023

महावीर प्रसाद यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, सहकारी समितियां, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर, राजस्थान।
4. पंकज अग्रवाल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (एस. स्केल), कार्यालय अति.रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग) मुख्य कार्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : स्वयं अपीलार्थी उपस्थित

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 18.07.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सदस्य प्रथम, राजस्थान राज्य, सहकारी अधिकरण, जयपुर के पद से अति.रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय जयपुर के पद पर किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी पंकज अग्रवाल जो अति.रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय जयपुर में कार्यरत था, उनका स्थानान्तरण सदस्य प्रथम राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में अति. रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय जयपुर में कार्य ग्रहण कर लिया है, परन्तु अपीलार्थी वर्तमान में अति.रजिस्ट्रार (एस–स्केल) का पद धारण करता है। जिस पद पर अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है, वो सी स्केल का पद नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को उसके पद से निम्नतर पद पर स्थानान्तरित किया गया है। इस आधार पर आलोच्य आदेश अपास्त किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अति.रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है और उसका अति.रजिस्ट्रार के पद पर ही पदस्थापन किया गया है। जहां अपीलार्थी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में आदेश की पालना की जा चुकी है। अतः अब अपीलार्थी आलोच्य आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया।

4. हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि दौराने अपील अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश की पालना में अति.रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय जयपुर के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। ऐसे में आलोच्य आदेश की पालना की जा चुकी है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को निम्नतर पद पर स्थानान्तरित किया गया है, इस तर्क पर विचार किया गया। यह सही है कि अपीलार्थी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (एस–स्केल) का पद धारण करता है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अति.रजिस्ट्रार के पद पर ही स्थानान्तरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि उक्त पद निम्नतर स्केल का पद है। यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2024 को होनी है, जिसमें केवल तीन कार्य दिवस शेष है। ऐसे में अपीलार्थी की इस आपत्ति पर इस स्तर पर कोई राय दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी अति. रजिस्ट्रार के पद पर ही पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को इस वर्तमान पद से स्थानान्तरण उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व किये जाने का आदेश दिया जाना भी उचित नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)